न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 162/2015

मनजीत कौर पत्नी गुरप्रीतसिंह जाति जटसिख पुत्री जगजीत कौर पत्नी मुख्त्यारसिंह निवासी चक 5ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी मकान नं. 1012, सैक्टर नं. 27बी चण्डीगढ जरिये मु.आम अभिनव चुघ पुत्र राजकुमार जाति अरोडा निवासी 140 पी ब्लॉक श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. रणदीप सिंह पुत्र हरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी 5ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 14.07.2015

उपस्थितिः—

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री काशीराम रणवां अभिभाषक रेस्पों. सं. 1

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 30.04.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 5ए छोटी के मु.नं. 10 के 25 बीघा भूमि का रहन, बैय, आदि द्वारा मुन्तकिल न करें एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

30/4/18

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी के नाम से दर्ज है। वसीयत कूटरचित नहीं है। अप्रार्थी भूमि को मुन्तकिल नहीं करना चाहता है। प्रार्थीया का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 14.07.2015 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि जगजीत कौर की खातेदारी थी। विवादित भूमि जगजीत कौर के नाम खातेदारी थी। जगजीत कौर द्वारा अपने पुत्र अथवा पुत्री को छोडकर तीसरे व्यक्ति रेस्पों. सं. 1 को वसीयत करने का कोई कारण नहीं है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पों. सं. 1 के पक्ष में कूटरचित वसीयत को शून्य करार दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता था। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर दिया। यदि विवादित भूमि का आगे बेचान या हस्तांतरण हो जाता है तो प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का 212 आर.टी.ए. का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 पेज 1084 और 1099 , आर.आर.डी. 2015 पेज 497 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की माता द्वारा की गई वसीयत को कोई चुनौती नहीं दी। कब्जा रेस्पों. के पास है। अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अधी. न्यायालय ने किसी प्रकार का मामला अपीलांट के पक्ष में नहीं माना है। इसके अतिरिक्त रेस्पों. रिकार्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

30/4/18

अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

रेस्पों. के पक्ष में दिनांक 10.06.1992 को वसीयत हुई है। वसीयत के आधार पर नामान्तरणकरण भी दर्ज हो चुका है। उक्त वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो या चुनौती देकर निरस्त करवाया गया हो। ऐसा पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा हो ऐसा भी कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का किसी प्रकार का मामला नहीं मानकर प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.07.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर